UPPB010066182025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच.जे.एस.–UP2014

विविध सिविल वाद संख्या–145/2025

1– चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह आयु लगभग 37 वर्ष पुत्र श्री अंगद लाल, निवासी ग्राम–फाजिल नागला, तहसील–दातागंज, जिला–बदायूँ

2– सी. आर. प्रिन्स अवयस्क पुत्र चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, निवासी ग्राम–फाजिल नागला, तहसील–दातागंज, जिला–बदायूँ द्वारा संरक्षक सगा पिता चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह–प्रार्थी संख्या–1

... . प्रार्थीगण

बनाम

1– रचना देवी आयु लगभग 36 वर्ष पुत्री श्री सूरज पाल सिंह पत्नी श्री चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, निवासी ग्राम–फाजिल नागला, तहसील–दातागंज, जिला–बदायूँ

2– आम जनता

.... विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रार्थी चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 5–क, धारा–8 (5) हिन्दू संरक्षक एवम् प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2, सी. आर. प्रिन्स के नाम दिनांक 09.03.2021 को क्रय किये गये प्लाट संख्या–486, क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर स्थित ग्राम बरहा, तहसील व जिला पीलीभीत को प्राकृतिक संरक्षक सगे पिता की हैसियत से विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र 5–क, धारा–8 (5) हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थी चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी पति–पत्नी हैं जिनके विवाह उपरान्त दो संतानें हैं जिनमें सबसे बड़ा पुत्र प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. प्रिन्स है जिसका जन्म वर्ष 2016 में हुआ है एवं दूसरा पुत्र सी. आर. हितांश है जिसका जन्म वर्ष 2020 का है। प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी वर्तमान में जिला मुरादाबाद में तैनात हैं और वहीं उनके दोनों पुत्र पी.एस.एस. पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा पुत्र वर्तमान में चतुर्थ–बी में है एवं छोटा पुत्र वर्तमान में कक्षा यू.के.जी.–डी में है। पूर्व में प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी की तैनाती जनपद पीलीभीत में रही है। प्रार्थी संख्या–1 के द्वारा बहैसियत संरक्षक प्रार्थी संख्या–2 के नाम एक प्लाट जो कि अकृषिक घोषित गाटा संख्या–486 स्थित ग्राम बरहा तहसील व जिला पीलीभीत में दिनांक 09.03.2021 को क्रय किया गया जिसका क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर एवं चतुर्दिक सीमाओं में पूरब प्लाट विक्रेता, पश्चिम प्लाट विक्रेता, उत्तर रास्ता 6.10 मीटर चौड़ा, दक्षिण प्लाट अन्य है, को प्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपनी जमा धनराशि 4,50,000/–रूपये अनुज अग्रवाल को अदा कर प्रार्थी संख्या–2 के नाम से संरक्षक के रूप में निवेश के बावत् क्रय किया। प्रार्थी संख्या–1 एवं विपक्षी का स्थानान्तरण जनपद पीलीभीत से जनपद मुरादाबाद हो गया है जिसके उपरान्त से सारा परिवार जनपद मुरादाबाद में रह रहा है जहां प्रार्थी

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.07 15:45:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या–1 व विपक्षी ने मिलकर अपने दोनों पुत्रों का दाखिला पी.एम.एस. पब्लिक स्कूल में कराया है जिसमें एक बच्चे की फीस मय ट्रांसपोर्ट लगभग 1,20,000/–रूपये प्रति वर्ष है एवं प्रार्थी संख्या–1 स्कूल के शिक्षण हेतु अपने दोनों पुत्रों की लगभग दो लाख चालीस हजार रूपये मात्र स्कूल की ही फीस प्रति वर्ष अदा कर रहा है। विपक्षी के द्वारा एक मकान जनपद मुरादाबाद में परिवार के रहने के लिए लिया गया है जिस मकान को क्रय करने के बावत् विपक्षी ने 26 लाख रूपये का ऋण बैंक से लिया है जिसकी किश्तें विपक्षी अदा कर रही है जिस कारण कभी–कभी परिवार के समक्ष आर्थिक जटिलताएं आती हैं। जिस हेतु प्रार्थी संख्या–1 प्रश्नगत प्लाट को विक्रय कर प्राप्त धनराशि को प्रार्थी संख्या–2, के अच्छे शिक्षण को भविष्य में भी सुचारू रूप से चलने देने के लिए बैंक में फिक्स कर दें और ऐसी ही मंशा प्रार्थी संख्या–2 की भी है। याचना की गयी है कि न्यायहित में प्रार्थी संख्या–1 को अपने अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2 के नाम अकृषिक घोषित गाटा संख्या–486 क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर भूमि, स्थित ग्राम बरहा, तहसील व जिला पीलीभीत को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र 5–क, पर विपक्षी/आपत्तिकर्ता रचना देवी की ओर से लिखित अनापत्ति 12–ग, प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कथन किया है कि विपक्षी, प्रार्थी संख्या–1 की पत्नी एवं प्रार्थी संख्या–2 की सगी मॉ है एवं पुलिस विभाग में कार्यरत है। प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी दोनों ही चाहते हैं कि प्रश्नगत प्लाट को विक्रय कर प्राप्त धनराशि को प्रार्थी संख्या–1, प्रार्थी संख्या–2 के अच्छे शिक्षण को भविष्य में सुचारू रूप से चलने देने के लिए बैंक में फिक्स कर दे और ऐसी ही मंशा प्रार्थी संख्या–2 की भी है। न्यायहित में यदि प्रार्थी संख्या–1 को उक्त प्लाट को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है तो विपक्षी/आपत्तिकर्ता का कोई आपत्ति नहीं है।

4. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 5–क, के समर्थन में शपथ पत्र 6–ग, प्रस्तुत किया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त दस्तोवज 7–ग से प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांकित 09.03.2021 कागज संख्या–7–ग/2 लगायत 7–ग/13, छाया प्रति जन्म प्रमाण–पत्र प्रार्थी संख्या–2, सी.आर. प्रिन्स कागज संख्या–7–ग/14, छाया प्रति जन्म प्रमाण–पत्र अवयस्क पुत्र सी.आर. हितांश कागज संख्या–7–ग/15, अवयस्क पुत्रगण सी. आर. हितांश एवं सी.आर. प्रिन्स से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रपत्र कागज संख्या 7–ग/16 लगायत 7–ग/22, प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांकित 11.02.2025 कागज संख्या 7–ग/23 लगायत 7–ग/33, बैंक स्टेटमेन्ट कागज संख्या 7–ग/34 लगायत 7–ग/48 एवं सूची 9–ग, से इश्तहार मुजरिया प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र 'आज' दिनांकित 03.12..2025 की सम्पूर्ण मूल प्रति कागज संख्या 11–ग, दाखिल की गयी है।

5. विपक्षी की ओर से अपनी अनापत्ति 12–ग, के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र 13–ग, प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रार्थी संख्या–1, चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू0–1 के रूप में स्वयं का शपथ पत्र 15–क, प्रस्तुत कया गया है एवं विपक्षी रचना देवी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0 डब्लू0–1, के रूप में स्वयं का शपथ पत्र 16–क, प्रस्तुत किया गया है।

7. न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया।

8. प्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को अपने अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2 सी.आर. प्रिन्स के अच्छे शिक्षण को भविष्य में सुचारू रूप से चलने देने के लिए उपरोक्त प्लाट को विक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल की धनराशि का इस्तेमाल उसकी अच्छी शिक्षा पर करेगा।

9. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी संख्या–1, चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, प्रश्नगत प्लाट अपने अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2 सी.आर. प्रिन्स के

अच्छे भविष्य एवं उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए धन की जरूरत के कारण बेच रहा है इस कारण प्रार्थी संख्या–1, को उक्त प्लाट विक्रय करने की बावत् अनुमति दिये जाने में विपक्षी कोई आपत्ति नहीं है।

निष्कर्ष

10. पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी पति–पत्नी हैं जिनके विवाह उपरान्त दो संतानें हैं जिनमें सबसे बड़ा पुत्र प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. प्रिन्स है जिसका जन्म वर्ष 2016 में हुआ है एवं दूसरा पुत्र सी. आर. हितांश है जिसका जन्म वर्ष 2020 का है। प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी वर्तमान में जिला मुरादाबाद में तैनात है और वही उनके दोनों पुत्र पी.एस.एस. पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। प्रार्थी संख्या–1 के द्वारा बहैसियत संरक्षक प्रार्थी संख्या–2 के नाम एक प्लाट जो कि अकृषिक घोषित गाटा संख्या–486 स्थित ग्राम बरहा तहसील व जिला पीलीभीत में दिनांक 09.03.2021 को क्रय किया गया जिस प्लाट का क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर एवं चतुर्दिक सीमाओं में पूरब प्लाट विक्रेता, पश्चिम प्लाट विक्रेता, उत्तर रास्ता 6.10 मीटर चौड़ा, दक्षिण प्लाट अन्य है, को प्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपनी जमा धनराशि 4,50,000/–रूपये अनुज अग्रवाल को अदा कर प्रार्थी संख्या–2 के नाम से संरक्षक के रूप में निवेश के बावत् क्रय किया। प्रार्थी संख्या–1 एवं विपक्षी का स्थानान्तरण जनपद पीलीभीत से जनपद मुरादाबाद हो गया है जिसके उपरान्त से सारा परिवार जनपद मुरादाबाद में रह रहा है जहां प्रार्थी संख्या–1 व विपक्षी ने मिलकर अपने दोनों पुत्रों का दाखिला पी.एम.एस. पब्लिक स्कूल में कराया है। प्रार्थी संख्या–1 स्कूल के शिक्षण हेतु अपने दोनों पुत्रों की लगभग दो लाख चालीस हजार रूपये मात्र स्कूल की ही फीस प्रति वर्ष अदा कर रहा है जिस कारण उसके परिवार के समक्ष आर्थिक जटिलताएं आती हैं। जिस हेतु प्रार्थी संख्या–1 प्रश्नगत प्लाट को विक्रय कर प्राप्त धनराशि को अवयस्क प्रार्थी संख्या–2, के अच्छे शिक्षण को भविष्य में भी सुचारू रूप से चलने देने के लिए बैंक में फिक्स कर देना चाहता है। उक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि यदि अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 के नाम प्रश्नगत प्लाट को प्रार्थी संख्या–1 को बहैसियत संरक्षक सगे पिता होने के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी जाती है, तो उसके अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 का कोई अहित नहीं है और उक्त प्लाट का विक्रय उसके लालन–पालन एवं शिक्षा हेतु फायदे में रहेगा।

प्रार्थी संख्या–1 चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह के द्वारा आदेश पत्रक के मार्जन पर इस आशय का पृष्ठांकन भी किया गया है कि '' मेरे द्वारा प्लाट को विक्रय करक प्राप्त धनराशि को अपने पुत्र सी. आर. प्रिन्स की शिक्षा हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जायेगा। ''

11. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी संख्या–1 चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह को उपरोक्त अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 सी.आर. प्रिन्स के सगे पिता एवं नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत से उसके अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. सिंह के नाम अकृषिक घोषित गाटा संख्या–486 क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम बरहा, तहसील व जिला पीलीभीत को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 5–क, स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 5–क, अन्तर्गत धारा–8 (5) हिन्दू संरक्षक एवम् प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी संख्या–1 चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह को उसके अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2, सी.आर. प्रिन्स के नाम प्लाट/भूमि जो कि अकृषिक घोषित गाटा संख्या–486 स्थित ग्राम बरहा तहसील व जिला पीलीभीत, जिसका क्षेत्रफल 124.25 वर्ग मीटर एवं चतुर्दिक सीमाओं में पूरब प्लाट विक्रेता, पश्चिम प्लाट विक्रेता, उत्तर रास्ता 6.10 मीटर चौड़ा, दक्षिण प्लाट अन्य है, को विक्रय करने की अनुमति उसके सगे पिता व संरक्षक

के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रार्थी संख्या–1 चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, इस आशय का शपथ पत्र 15 दिन में दाखिल करेगा, कि उपरोक्त विक्रय किये जाने वाले उक्त प्लाट/भूमि, आस–पास के प्लाट/भूमि के बराबर या उससे अधिक मूल्य पर विक्रय करेगा, अन्यथा नहीं।

प्रार्थी संख्या–1, चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, अपने अवयस्क पुत्र प्रार्थी संख्या–2, सी. आर. प्रिन्स के नाम उपरोक्त प्लाट/भूमि के विक्रय किये जाने की दशा में विक्रय के प्रतिफल के रूप में प्राप्त धनराशि/रकम में से 80 प्रतिशत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की सावधि जमा योजना के अन्तर्गत अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. प्रिन्स के नाम निवेश करेगा और उसको अवयस्क के वयस्क होने तक उसका नवीनीकरण कराया जायेगा। उपरोक्त धनराशि/रकम अवयस्क प्रार्थी संख्या–2, सी. आर. प्रिन्स 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा सावधि जमा योजना में निवेशित धनराशि की एफ0डी0आर0 की छाया प्रतियां प्रश्नगत प्लाट/भूमि के विक्रय की तिथि से 90 दिन के अन्दर न्यायालय में जमा करेगा तथा शेष 20 प्रतिशत विक्रय धनराशि/रकम अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. प्रिन्स के पालन–पोषण एवं शिक्षा इत्यादि पर व्यय कर सकेगा।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी संख्या–1 चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि उपरोक्त अवयस्क प्रार्थी संख्या–2 सी. आर. प्रिन्स के हितों के विपरीत हो।

दिनांकः 07.03.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UP2014
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत

निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 07.03.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UP2014
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत